REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228541 CG-DL-E-28072021-228541

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2769] No. 2769] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

का.आ. 2979(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

_	\sim	
त	गल	क

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
606	227बी	उत्तर प्रदेश राज्य में छावनी के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अमोरा- कटारिया – श्रृंगी – ऋषि आश्रम – महबूबगंज – गोसाईंगंज – तरुण – रामपुर भागन (सूर्यकुंड) – द्राबगंज (सीताकुंड) – बीकापुर – भगवती नगर – रेवतीगंज – आशना – अधयोना चौराहा – सिरसिर (जन्मे जयकुंड) – अमारगंज – अमानीगंज – रुदाली- रोजागांव – मियान का पुरब

– मेरा मांव – पतरंगा – आलियाबाद – नियामलगंज – बारेनबाग – कमियार – चरसारी –
भोरीगंज – राजापुर- बाबा शुभीरण दास कुट्टी - नाहरदा की कुट्टी (पासका) – उमरी –
बेगमगंज – दिकसिर – पकड़ी बार – गोहनी – जरही चौराहा – राम नगर चौराहा (तुलसापुर)
– नबाबगंज – नबवा – कल्याणुपर हेदराबाद – बेरका – नादुला - रामगढ़ को जोड़ते हुए और
छावनी के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/14/2021-पी एंड एम-(पार्ट-1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2895 (अ), दिनांकित 20 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

S.O. 2979(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways	
(1)	(2)	(3)	
606	227B	The highway starting from its junction with NH 27 near Chhawani connecting Amora – Katariya - Shringi- Rishi Ashram – Mahboobganj –Gosainganj – Tarun - Rampur Bhagan (Suryakund) – Drabganj (Sitakund) – Bikapur - Bhagwati Nagar – Rewatiganj – Ashana - Adhayoana Choraha - Sirsir (Janme Jaykund) - Amarganj - Amaniganj - Rudali - Rojagaon - Miyan ka Purab - Mera maon- Patranga - Aliyabad - Niyamalganj - Barenbag - Kamiyar - Charasari –Bhoriganj – Rajapur - Baba Subhiran Dass Kutti - Narhardass ki kutti (Paska) - Umri - Begamganj – Diksir - Pakri Baar- Gohani - Jarhi Choraha - Ram Nagar Chauraha (Tulsapur)- Nababganj – Nabwa - Kalyanpur Hedrabad – Berka - Nadula-Ramgarh and terminating at its Junction with with NH 27 near Chhawani in the State of Uttar Pradesh.	

TABLE

[F. No. NH-14012/14/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 2895(E), dated 20th July, 2021.